अर्पण सेवा समिति

ई–5000, सेक्टर–11, राजाजीपुरम, लखनऊ–226017, उ0प्र0

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो की सूची वर्ष –2021–22

क्र. सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	वीना सिंह रघुवंशी	सी–1351, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0 ।	अध्यक्ष	समाज सेवा
2.	नूरुल हक	144 / 49 ख, भवानीगंज; मेंहदीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3.	डॉ० आर० बी० सिंह	सी–1351, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0।	सचिव	शिक्षक
4.	महेन्द्र प्रताप सिंह	सी–13 / 112, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0 ।	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
5.	ए० के० सैनी	148 / 84, रानीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	व्यवसाय
6.	महेश पाण्डेय	कात्यायनी पीठ, बाबूगंज, डालीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	नौकरी
7.	अमित कुमार सिंह	566 / 2 ख, जयप्रकाश नगर, आलमबाग, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	व्यवसाय
8.	शिव कुमार तिवारी	बी –117, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	अधिवक्ता
9.	सुरेन्द्र बहादुर सिंह	सी–13 / 112, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0 ।	सदस्य	समाज सेवा
10.	भूपेन्द्र प्रताप सिंह	सी–1351, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	समाज सेवा
11.	राघवेन्द्र सिंह	566 / 2 ख, जयप्रकाश नगर, आलमबाग, लखनऊ, उ0प्र0।	सदस्य	व्यवसाय
12.	सुनील कुमार सिंह	म0स0 225, ब्लॉक–सी, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा।	सदस्य	व्यवसाय
13.	सूरज कुमार	बी –370, शहीद भगत सिंह कालेज, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली।	सदस्य	व्यवसाय
14.	कृष्ण कान्त सिंह	पौर मय शाह मोहम्मदपुर, गोविन्दपुर, सिंघारा, वैशाली, बिहार ।	सदस्य	समाज सेवा
15.	रामलखन पटेल	34, कमलपुरवा, कमलपुरवा, छतरपुर, मध्य प्रदेश।	सदस्य	समाज सेवा

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षरः–

1

2 Singh

3

4 महेन्द्र प्रताप सिंह

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

23/03/22

संशोधित स्मृति पत्र

(1) संस्था का नाम :: अर्पण सेवा समिति।

(2) संस्था का पता :: ई–5000, सैक्टर–11, राजाजीपुरम्, लखनऊ–226017, उ0प्र0।

(3) संस्था का कार्य क्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत वर्ष।

(4) संस्था के उददेश्य

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना एवं लोगों मे देश प्रेम व वैचारिक सामन्जस्य का विकास करना और व्यक्ति, वर्ग, समुदाय व समाज के हितार्थ कार्य करना।
2. देश के सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संस्कृति एवं परम्पराओं का संवर्धन, संग्रहालय की स्थापना एवं विकास, बौद्धिक मंचो की स्थापना तथा सामाजिक सभाओं के आयोजन का कार्य करना। ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना तथा शिक्षा, कृषि और पशुपालन विज्ञान की जानकारी देना। समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल व अन्य साहित्यों का प्रकाशन। यू ट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की स्थापना तथा विकास एवं प्रकाशन करना।
3. शैक्षिक विकास हेतु सभी प्रकार के विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की व्यवस्था शासन के मानक के अनुसार करना एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और प्रतियोगात्मक शिक्षा तथा लोगों को कम्प्यूटरीकृत शिक्षण, तकनीकी शिक्षण, इलेक्ट्रानिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना और गरीब बच्चो के लिये छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
4. शैक्षिक शोध एवं विकास कार्य करना। आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्राइमरी पाठशाला, स्कूल, कालेज, आई0टी0आई0, फार्मेसी कालेज, एल0एल0बी0 कालेज, मदरसा, महाविद्यालय खोलना, मैनेजमेन्ट, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, टेक्नीकल, संस्कृत विद्यालय, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल कालेजों, अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, पशु चिकित्सालय की स्थापना व संचालन शासन/सरकार की पूर्व अनुमति से करना।
5. कम्प्यूटर शिक्षा, इंटरनेट शिक्षा, आटो मोबाइल शिक्षा, मोबाइल शिक्षा, मिक्सिग लैब, टाइप राइटिंग, शार्टहैण्ड, रेफ्रिजरेशन व एअर कण्डीशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रीशियन व आटो मैकेनिक, ऐवियेशन आदि की शिक्षा व्यवस्था करना। फैशन डिजाइनिंग, इंटिरियर डिजाइनिंग, आधुनिक प्रचार माध्यमों आदि की रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण देना। देशभर में कुम्हारी कला, लोहारी कला आदि के विकास हेतु सभी प्रकार के प्रयास करना।
6. समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार, कान्फ्रेन्स, कार्यशाला, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, क्रीड़ा स्थल, दंगल, योग कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, कटपुतली, फीचर फिल्म, पोस्टर, चैरिटी शो, सडक सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम, पेयजल, सुलभ शौचालय, विधिक जागरूकता कार्यक्रम आदि करना। उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम एवं प्रचार–प्रसार करना तथा जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी, मेला एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षा शिविरों आदि का आयोजन करना। कवि गोष्ठियों का आयोजन एवं भारतीय संस्कृति एवं धरोहर का विकास करना।
7. महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला, ललितकला, संगीत गायन, वादन, नृत्य अभिनय, सैलून, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी कोर्स, नाटक, फैशन डिजाइनिंग, फैशन शो, चिकन, जरी, पापड़, आचार, मुरब्बा, बरी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिन्टिग, आफसेट प्रिंटिंग, पेन्टिग, फूड मेकिंग, वाल पेन्टिग, खादी एवं हस्त शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वालम्बन की भावना जागृत करना।
8. अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग तथा ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण अथवा उनके उत्थान तथा कल्याण हेतु कार्य करना और दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोहों को प्रोत्साहन देना।
9. जनहितार्थ चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, व्यायामशाला, धर्मशाला, योगशाला, पौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालबाड़ी, आंगनबाड़ी, आवासीय विद्यालय एवं गैर आवासीय विद्यालय आदि की स्थापना करना।
10. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेयजल एवं जल व भूमि प्रबन्धन तथा कूड़ा प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना। केन्द्र, राज्य सरकारो के सहयोग से पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म, बकरी फार्म, भेड पालन, मछली पालन,फुड प्रोसिसिंग, अगरबत्ती उद्योग, मोमबत्ती, मधुमक्खी पालन करना। मिट्टी के समान– मूर्तियां, गमले, कुल्हड आदि बनाने का कार्य एवं प्रोत्साहन देना। हर्बल सामान, साबुन, तेल, दन्त मंजन, क्रीम तथा हाथ से बने चॉकलेट, टाफी, बिस्कुट, नमकीन, देशी घी, मक्खन, पनीर, दुग्ध उत्पादन, सोडा, ड्रिन्क, जूस आदि का उत्पादन एवं प्रोत्साहन। बिजली के सामान– कूलर पंखा, बल्ब, ट्यूब लाइट का निर्माण एवं फैन्शी ज्वलैरी, एल्युनियम बर्तन, डिस्पोजल–कप प्लेट, कटोरी, हास्पिटल के सामान– स्टेचर आदि बनाने एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास। कपड़े एवं चमड़े के सामान, बैग, बटुआ, पर्स, बेल्ट, जूता, चप्पल, पॉलिस, बक्सा, अटैची, पेपर बैग आदि का निर्माण एवं विकास करना। लिफाफा, टोकरे, विभिन्न प्रकार के मसाले, अचार मुरब्बा, सॉस का उत्पादन और काटेदार तार, पराम्परिक औषधियां, लकड़ी के विभिन्न समान, पत्थर की मूर्तियां, कालीन आदि उद्योगो की स्थापना, प्रशिक्षण प्रत्सोहान एवं प्रचार प्रसार करना।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
23.03.22

11. दैवीय आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलावृष्टि, तूफान एवं महामारी आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना। उनके लिए चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, आवास एवं पुर्नवास की व्यवस्था में सहयोग करना।

12. पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कुष्ट उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, जड़ी बूटी उगाना, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी का संग्रहण, प्रसंस्करण, संरक्षण एवं आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कर लोगों को निःशुल्क परामर्श देना। कृषि उत्पादन सम्बन्धी विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण, प्रवर्धन तथा इससे आधारित सर्वे–सर्वेक्षण, सेमिनार, और गोष्ठी का आयोजन करना। प्रदूषण नियन्त्रण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरण सुधार एवं नियंत्रण हेतु प्रदूषण जांच केन्द्रो की स्थापना करना तथा केन्द्र और राज्य सरकारों से सहयोग एवं अनुमति लेकर संचालन करना। सड़क सुरक्षा जागरुकता, कानूनी सलाह, दुर्घटना रोकने तथा सड़क एवं यातायात विकास तथा सड़क सुरक्षा हेतु मोटर ट्रेनिंग स्कूल, केन्द्र और संस्थान की स्थापना कर सरकार से सहयोग लेकर संचालन करना। ऊसर–बंजर भूमि सुधार, मृदा परीक्षण, जैविक तथा हर्बल खेती, रासायनिक / जैविक, जैव उवर्रक, जैव कीटनाशक, उद्यान संरक्षण, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो गैस, लघु जल ऊर्जा एवं पशु–पक्षी, जीव–जन्तु संरक्षण एवं वन्य जीव, गौ संरक्षण, गौशाला, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रबन्धन व जल संचयन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास, शाकाहारी आहार आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

13. परिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकाकरण, पोलियों ड्राप, एस०टी०डी०, टी०बी०, हेपेटाइटिस–बी, एचआई०वी० एड्स, चिकनपॉक्स, मधुमेह, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण हेतु एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर तथा फिजियाथेरेपी द्वारा निवारण। महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जागरुक करना। वृद्धजनो की देखभाल करना। सामाजिक दुष्प्रभावों का उन्मूलन निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हो रहे दुर्व्यहार को रोकने का प्रयास करना और उन्हे स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करना। गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा कैम्प लगाना एवं नारी कला केन्द्र आदि के द्वारा महिला सशक्तीकरण कौशल विकास व महिलाओं के हितार्थ अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना।

14. केन्द्र व राज्य समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, यूनीसेफ, ड्वाकरा, निपसिड, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव गांधी फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इण्डिया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मनरेगा, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, राष्ट्रीय एवं राज्यो के कौशल विकास मिशन, डिजिटल इण्डिया, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, डी०आर०डी०ए० विश्व स्वास्थ्य संगठन, मिड डे मिल,एन०एच०डी०सी०, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक अल्पसंख्यक विभाग तथा आयोग एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण, निदेशालय उ०प्र०, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विकलांग कल्याण निदेशालय, तथा ग्रामीण, परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों आदि का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।

15. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय अल्पसंख्यक मामलो के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आदिवासी मामले सम्बन्धी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जलशक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रसंस्करण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, खेलकूद एवं युवा मामलो के मंत्रालय, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शक्ति मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलो के मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेशी मामलो के मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, संचार मंत्रालय तथा अन्य केन्द्र भारत सरकार व राज्य सरकार उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के मंत्रालय द्वारा समय समय पर शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, अध्यात्मिक व अन्य प्रकार से राष्ट्र एवं समाज के उत्थान और विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संस्था हर सम्भव प्रयास करेगी।

16. समाज के निर्धन, निराश्रित, विकलांगों, नेत्रहीनों, मजदूरों, बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, बन्धुवा मजदूर, कारीगरों, कृषकों, विधवाओं, मूक–बधिरों, वृद्धों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों तथा पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन करना। इनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना।

17. भाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा भाषाओं जैसे–हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उड़िया, भोजपुरी आदि साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास एवं विलुप्त हो रहे लोकगीतों और लोकनृत्यों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा क्रियेटिव आर्ट, थियेटर, आर्ट कापरेट का प्रचार प्रसार करना। राष्ट्रीय, प्रादेशिक व क्षेत्रीय, भारतीय भाषाओ का प्रामोशन व संवर्धन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
13.03.22

Singh

18. विकलॉग व्यक्तियों हेतु आवासीय विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, का संचालन शासन की पूर्व अनुमति से करना तथा कृत्रिम अंग निर्माण एवं प्रोत्साहन कार्य करना। इस हेतु विभिन्न विभागों, मंत्रालयों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

19. अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, दलितों एवं पिछड़ी जातियों के बच्चों एवं महिला समूहों स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पुरुषों के लिए बुटीक, ब्यूटी पार्लर, बुक बाइन्डिंग, कैन्टीन प्रबन्ध, सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्प्यूटर, खाद्य प्रसंस्करण, हेयर एवं स्किन केयर, हथकरघा, बुनाई, शहद उत्पादन, मशरूम खेती, रेडीमेड इम्ब्राइडरी, स्क्रीन प्रिन्टिंग, साफ्ट ट्वाय मेकिंग, टाइप शार्टहैण्ड, जरी क्राफ्ट एवं टेक्सटाइल्स, पैच वर्क, हैण्डीक्राफ्ट, टाई एवं इम्ब्राइडरी, लेस मेकिंग, लेस हैण्डमेकिंग, सिलाई–कढ़ाई आदि का संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा उन्हें रोजगार परक व चरित्रवान नागरिक बनाना।

20. समय–समय पर समाज के लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बारे में शिविर लगाकर उपयोगी जानकारी दिलाना एवं योग केन्द्र खोलकर लोगों को योगासन, प्राणायाम मुद्राए, व्यायाम, योग एवं नेचुरोपैथी केन्द्र की स्थापना व विकास करना एवं क्रियाए आदि कराकर मन एकाग्रचित्त एवं तनाव रहित करना।

21. नर्सरी तैयार करना, उद्यान संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण करवाना एवं जड़ी बूटी/औषधीय पौधों की खेती व विकास हेतु लोगों को जागरूक तथा प्रोत्साहन करना।

22. राष्ट्रीय एवं राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र, जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति एवं पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना व उनका प्रचार–प्रसार करना।

23. शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक विवाद, तनाव तथा कानूनी आदि विषयों से सम्बन्धित सलाह एवं निःशुल्क परामर्श प्रदान करना एवं मानवधिकार संरक्षण एवं जनहित याचिकाओं के माध्यम से जागरूक करना तथा न्याय दिलाना।

24. संस्था द्वारा भिखारियों की पहचान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने लायक तैयार करना और उनके लिए वैकल्पिक आजीविका व साधन की व्यवस्था करने का प्रयास करना। जन सामान्य के नैतिक मूल्यो मे सुधार एवं उत्थान हेतु छुआ–छूत, जातिवाद, बाल श्रम, भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, बहु विवाह, धूमपान, मदिरा पान और अन्य सामाजिक बुराई आदि के समाधान कर प्रयास करना।

25. घरेलू उपचार, वैकल्पिक एवं परम्परागत स्वास्थ्य व चिकित्सा पद्धति का संवर्धन और विकास करना। रोगी व असहाय परिवार सहायता, मादक द्रव्यों का सेवन व नशा उन्मूलन के प्रति जागरूक करना, शारीरिक, मानसिक अस्वस्थता मे विशेष परामर्श व उपचार सेवाये प्रदान करने का प्रयास करना।

26. समय समय पर विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्य करना, डेटा संग्रह, शोध प्रस्तावों को स्वीकारकर पूर्ण करना व पालिसी तथा एडवोकेसी पेपर तैयार करना।

27. संस्था सरकारी–अर्धसरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओ, विभागो, उपक्रमो, व्यपारिक प्रतिष्ठानों, समाज सेवी नागरिको तथा समान उद्देश्य वाले समाज सेवी/स्वयं सैवी संगठनो से अनुदान, दान, चन्दा, वित्तीय सहायता तथा अन्य आवश्यक सहयोग लेकर अपने उद्देश्यो एवं लक्ष्यो की पूर्ति करेगी।

28. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पंचायती उद्योग व पंचायती राज विभाग, महिला कल्याण निगम, नेहरू युवा केन्द्र, द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण–शहरी कार्यक्रमों का संचालन करना व विधिवत चहुमुखी विकास, प्रचार–प्रसार करना। भारत सरकार, राज्य सरकार के एम०एस०एम०ई० की स्फूर्ति योजना आदि योजनाओ के अन्तर्गत पारम्पारिक उद्योगो का विकास करना। घरेलू, लघु, कुटीर, मध्यम उद्योगो की स्थापना एवं विकास करना। क्लस्टर के माध्यम से कारीगरो, श्रमिको का प्रशिक्षण, सहयोग, प्रोत्साहन, मार्केटिंग व अन्य जरुरी सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हे स्वावलम्बी व रोजगार परक बनाना। इस हेतु जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आदि का मार्गदर्शन प्राप्त करना।

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर ::

1 [signature]
2 [signature]
3 [signature]
4 महेन्द्र प्रताप सिंह

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
23/03/22

संशोधित नियमावली

(1) संस्था का नाम :: अर्पण सेवा समिति।

(2) संस्था का पता :: ई–5000, सेक्टर–11, राजाजीपुरम्, लखनऊ–226017, उ0प्र0।

(3) संस्था का कार्य क्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत वर्ष।

(4) संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग ::

आजीवन सदस्य :: जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5001/रु0 नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रुप मे निःस्वार्थ भाव से संस्था को देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य :: जो व्यक्ति संस्था को 501/–रुपये वार्षिक प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

(5) सदस्यता की अर्हतायें :: कोई भी व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र का मूल निवासी हो, स्वस्थ चित्त एवं बालिग हो, सामाजिक कार्यो मे रुचि रखता हो, भारतीय नागरिक हो, न्यायालय द्वारा अपराधी, दिवालिया, पागल आदि घोषित न हुआ हो तथा संस्था के कार्यकलापो में आस्था रखता हो, निर्धारित शुल्क देकर संस्था का सदस्य बन सकता है।

(6) सदस्यता की समाप्ति ::
(1) मृत्यु हो जाने पर।
(2) पागल या दिवालिया हो जाने पर।
(3) संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
(4) अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
(5) नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
(6) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
(7) नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

(7) संस्था के अंग ::
(1) साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति।

(8) साधारण सभा

गठन :: संस्था के आजीवन सदस्यों एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके :: साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :: सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति :: साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि ::
साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य ::
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्चावन करना।
2. संस्था का वार्षिक रिर्पोट पास करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति

गठन :: साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1, सचिव –1, कोषाध्यक्ष–1, एवं सदस्य–07 होगें। इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी एवं आवश्यकतानुसार सदस्यो की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

बैठके :: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल मे चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :: प्रबन्धकारिणी समिति सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 72 घंटे पूर्व सदस्यो को दी जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट
फर्म्स सोसायटीज तथा ट्रस्ट

गणपूर्ति :: प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति ::

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर किसी भी प्रकार के आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

(10) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य ::

1. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था के उददेश्यो के पूर्ति के लिए दान, अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
4. संस्था की शाखाओं, समितियों/उपसमितियों का गठन करना और उस पर नियंत्रण रखना।
5. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड, सांस्कृतिक विभाग, कपार्ट, अवार्ड, अल्पसंख्यक विभाग, नाबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग, खादी बोर्ड/खादी कमीशन, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, यूनेस्को, शिक्षा विभाग/मंत्रालय, राजीव गाँधी फाउण्डेशन, अब्दुल कलाम आजाद फाउण्डेशन, सिडबी,सूडा, डूडा, सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य जन प्रतिनिधियों, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग, समाजसेवी संस्थाओं, दानशील व्यक्तियों, सरकारी गैर सरकारी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियो, देश विदेश की दानशील संस्थाओं व अन्य श्रोतों से अनुदान एवं दान चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

कार्यकाल :: प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

(11) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य ::

अध्यक्ष ::

1. संस्था के सभी पदाधिकारियों को सलाह–मशविरा देना।
2. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
3. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
4. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
6. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन व स्थगन करना।
7. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्ति करना या निष्कासन का कार्य करना।
8. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
9. बिल, बाउचर आहरण पत्रों, आदि को भुगतान हेतु पारित करना।
10. संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति की देख–रेख करना, क्रय–विक्रय एवं उसकी सुरक्षा करना।
11. समस्त सरकारी, गैर सरकारी विभागो, मंत्रालयों में प्रोजेक्ट योजना आदि के आवेदन करने, अनुदान ग्रहण करने व समस्त पत्राचार करने तथा रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

उपाध्यक्ष ::

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष अथवा सचिव की सहमति से अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करना एवं उनके कार्यों में सहयोग देना।

सचिव :

1. संस्था की ओर से समस्त बैठको का नियोजन करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. सदस्यों के नाम सदस्यता रजिस्टर पर नोट करना।
4. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
5. संस्था की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।

कोषाध्यक्ष ::

1. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
2. आय व्यय का लेखा–जोखा रखना।
3. सदस्यों के दान–चन्दा, अनुदान एवं अन्य स्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व बैंक में जमा कराना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय जिला रजिस्ट्रार
फर्रुखाबाद

सदस्य ::

1. संस्था के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था के पदाधिकारियों के कार्यों में सहयोग करना।

(12) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया ::
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन व परिवर्धन किया जायेगा।

(13) संस्था का कोष :: संस्था का कोष राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शिड्यूल्ड बैंक, पो० आफिस या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष तथा सचिव अथवा कोषाध्यक्ष दोनो मे से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

(14) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण ::
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

(15) संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::
संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति पर होगा।

(16) संस्था के अभिलेख ::

अ. सदस्यता रजिस्टर
ब. कार्यवाही रजिस्टर
स. स्टाक रजिस्टर
द. कैशबुक, लेजर बुक आदि ।

(17) विघटन :: :: संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक ::

(सत्य प्रतिलिपि)
हस्ताक्षर ::

1
2
3
4 महेन्द्र प्रताप सिंह

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिटस